



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

क्षेत्रीय कार्यालय (REGIONAL OFFICE)

92, गांधीनगर मार्ग बजाज नगर,

GANDHI NAGAR MARG, BAJAJ NAGAR,

जयपुर / JAIPUR – 302015 (राजस्थान)

वेबसाइट: www.kvsjaipur.nic.in ईमेल kvsjpr@gmail.com / kvsjpr@rediffmail.com

0141 – 2704572 (DC), 0141– 2706548 (AO/FO), 0141 – 2707149 (AC), FAX No. 0141 – 2706882



फा0 सं0 केविसं(जयपुर)

दिनांक

कार्यालय आदेश

केविसं क्षेत्रीय कार्यालय के परिसर के क्वार्टर सं0 श्रीमती/श्रीमान पदनाम को केंद्रीय विद्यालय संगठन (आवास आबंटन) नियम 1998 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के तहत आबंटित किया जाता है।

निम्नलिखित नियमों व शर्तों पर विशेष तौर से ध्यान आकर्षिक किया जाता है-

1. जिस कर्मचारी को आवास आबंटित है, वह क्वार्टर को केवल आवासीय उद्देश्य हेतु उपयोग करेगा अन्य कारण के लिए नहीं।
2. जिस कर्मचारी को आवास आबंटित किया गया है, वह अपने आवास को विद्यालय या बाहर के किसी व्यक्ति के साथ सक्षम अधिकारी की लिखित रूप में प्राप्त पूर्व स्वीकृति के बिना भागीदारी नहीं करेगा।
3. आबंटिती आवास तथा उसके आसपास के स्थान को साफ-सुथरा रखेगा। कर्मचारी आवास में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन नहीं करेगा और वह कांच पटल दीवार, छत आदि का विरूपण नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के ज्वलनशीन पदार्थों का भण्डारण आवास में नहीं किया जाए।
4. कर्मचारी, जिसे आवास आबंटित किया गया है, को कब्जे मिलने के बाद ही उसके द्वारा लाइसेंस फीस का भुगतान किया जाएगा। आवास का आबंटन पत्र प्राप्त होने की तारीख से 8 दिन के भीतर यदि कब्जा नहीं लिया जाता है तो आबंटन को निरस्त समझा जाएगा तथा कर्मचारी आबंटन पत्र की तारीख से लेकर अगले एक वर्ष की अवधि तक दूसरे आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।
5. यदि आबंटिती कर्मचारी के पास पहले से ही अन्य आवास का कब्जा है तो उसे अपने वर्तमान आवास को नए आवास का कब्जा लेने से पूर्व खाली करना होगा वरना उसे दोनों आवास के किराये का भुगतान करना होगा (पैनल किराया सम्मिलित)। आबंटिती कर्मचारी द्वारा आवास की लाइसेंस फीस का भुगतान व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा और वह आवास में मौजूद फर्नीचर अथवा फिटिंग या प्रदत्त सेवाओं में सामान्य टूट फूट से हुए अधिक क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा तथा आवास में हुई क्षतिपूर्ति की लागत का निर्धारण उपायुक्त केविसं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाएगा जिसे अंतिम माना जाएगा (अथवा संदिग्ध मामले में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जाएगा)
6. उपायुक्त केविसं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन(आवास आबंटन) नियम 1976 के प्रावधानों के तहत आबंटन को निरस्त किया जा सकता है। आबंटन के रद्द या निरस्त कर दिये जाने के बाद या इसे निरस्त करना स्वीकृत कर लिया जाता है तो आबंटिती द्वारा आवास खाली कर आबंटन प्राधिकारी को उसका कब्जा वापस लौटाना होगा।
7. जिस कर्मचारी द्वारा आवास खाली किया जाना है, उसे उपायुक्त को 10 दिनों के भीतर आवास खाली करने का एक लिखित नोटिस देना होगा जिसमें आवास खाली करने की तिथि और समय का उल्लेख हो। इस नोटिस के प्राप्त होने के बाद से ही निश्चित अवधि पर ध्यान दिया जाएगा।

कृ0पृ0उ0 2/-

8. पानी, विद्युत प्रभार आदि का भुगतान आवास में लगे मीटर के अनुसार अथवा मीटर ना होने पर आवास की उचित कीमत के अनुसार किया जाएगा। यह भुगतान सीधे ही संबंधित प्राधिकारी को किया जाएगा अथवा उपायुक्त द्वारा यथानिर्धारित की गई कीमत के आधार पर संबंधित भुगतान आबंटिती द्वारा किया जाएगा।
9. उपायुक्त द्वारा स्वयं या उनके द्वारा नियुक्त किए गए स्टॉफ कर्मचारी को यह अधिकार होगा कि वह आवास की मरम्मत इत्यादि यदि आवश्यक हो तो के उसकी अन्दर व बाहर की जांच कर सकेगा।
10. आवासीय आवास का किराये पर नहीं दिया जाएगा और ना ही अन्य प्रयोजनों के लिए परिसर का इस्तेमाल किया जाएगा। आबंटन प्राधिकारी द्वारा संगठन द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयानुसार, आबंटन की शर्तों में निकट भविष्य में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकता है, और इन संशोधनों को आबंटन पत्र में दी गई शर्तों के अनुरूप बाध्य माना जाएगा।
11. जिस कर्मचारी को आवास आबंटित है, यदि उसके कब्जे के दौरान आवास में फिटिंग व अन्य प्रदत्त सेवाओं की टूट फूट होने, खराब होने या खोने की स्थिति में संगठन द्वारा निर्धारित कीमत का भुगतान आबंटिती द्वारा किया जाएगा।
12. आबंटिती को स्पष्ट किया जाता है कि वह आबंटित आवास का एक लाइसेंसधारी है, ना कि किरायेदार और ना ही आबंटित आवास जो संगठन द्वारा दिया गया है का कोई अनन्य अधिकारी।

आबंटिती जो एक लाइसेंसधारी है को स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित नियम व शर्तें होने पर उसका लाइसेंस स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा -

- क. लाइसेंसधारी के सेवानिवृत्त होने पर।
- ख. लाइसेंसधारी का किसी अन्य केंद्रीय विद्यालय या केंविसं क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरण होने पर
- ग. लाइसेंसधारी द्वारा संगठन की सेवा से त्यागपत्र देने पर।
- घ. लाइसेंसधारी की मृत्यु होने पर।

(जयदीप दास)
उपायुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. संबंधित अधिकारी /कर्मचारी जिसे आवास आबंटित किया गया है।
2. वित्त अधिकारी केविसं क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

क्षेत्रीय कार्यालय (REGIONAL OFFICE)

92, गांधीनगर मार्ग बजाज नगर,

GANDHI NAGAR MARG, BAJAJ NAGAR,

जयपुर / JAIPUR – 302015 (राजस्थान)

वेबसाइट: www.kvsjaipur.nic.in ईमेल kvsjpr@gmail.com / kvsjpr@rediffmail.com

0141 – 2704572 (DC), 0141– 2706548 (AO/FO), 0141 – 2707149 (AC), FAX No. 0141 – 2706882



फा0 सं0 केविसं(जयपुर)

दिनांक

कार्यालय आदेश

केविसं क्षेत्रीय कार्यालय के परिसर के क्वार्टर सं0 श्रीमती/श्रीमान पदनाम को केंद्रीय विद्यालय संगठन (आवास आबंटन) नियम 1998 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के तहत आबंटित किया जाता है।

(Quarter/House No.T-IV/1 is hereby allotted to _____ KVS (RO) Jaipur subject to the provisions in the Allotment of Residences (Kendriya Vidyalaya Sangathan) Rules, 1998).

निम्नलिखित नियमों व शर्तों पर विशेष तौर से ध्यान आकर्षिक किया जाता है-

The following terms and conditions are specially brought to notice:

1. जिस कर्मचारी को आवास आबंटित है, वह क्वार्टर को केवल आवासीय उद्देश्य हेतु उपयोग करेगा अन्य कारण के लिए नहीं।
(The quarter shall be used for residential purpose only and for no other Purpose).
2. जिस कर्मचारी को आवास आबंटित किया गया है, वह अपने आवास को विद्यालय या बाहर के किसी व्यक्ति के साथ सक्षम अधिकारी की लिखित रूप में प्राप्त पूर्व स्वीकृति के बिना भागीदारी नहीं करेगा।
(The quarter shall not be sublet under any circumstances. The residence shall not be shared with any other employee of the Vidyalaya or any outsider without the prior written permission of the Competent Authority).
3. आबंटिती आवास तथा उसके आसपास के स्थान को साफ-सुथरा रखेगा। कर्मचारी आवास में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन नहीं करेगा और वह कांच पटल दीवार, छत आदि का विरूपण नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के ज्वलनशीन पदार्थों का भण्डारण आवास में नहीं किया जाए।
(The allottee shall keep the quarter and surrounding in a clean and hygienic condition. The allottee shall not make any addition and alterations to the quarter and shall not deface the glass panes, walls, floors etc. No inflammable articles shall be stored in the quarter).
4. कर्मचारी, जिसे आवास आबंटित किया गया है, को कब्जे मिलने के बाद ही उसके द्वारा लाइसेंस फीस का भुगतान किया जाएगा। आवास का आबंटन पत्र प्राप्त होने की तारीख से 8 दिन के भीतर यदि कब्जा नहीं लिया जाता है तो आबंटन को निरस्त समझा जाएगा तथा कर्मचारी आबंटन पत्र की तारीख से लेकर अगले एक वर्ष की अवधि तक दूसरे आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।
(License fee shall be payable from the date of taking possession of the quarter. The allottee shall accept the allotment and take the possession of the residence within 8 days from the date of receipt of this letter of allotment, failing which the allotment shall be treated as cancelled and he/she shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of this allotment letter).

कृ0पृ030 2/ -

5. यदि आबंटिती कर्मचारी के पास पहले से ही अन्य आवास का कब्जा है तो उसे अपने वर्तमान आवास को नए आवास का कब्जा लेने से पूर्व खाली करना होगा वरना उसे दोनों आवास के किराये का भुगतान करना होगा (पैनल किराया सम्मिलित)। आबंटिती कर्मचारी द्वारा आवास की लाइसेंस फीस का भुगतान व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा और वह आवास में मौजूद फर्नीचर अथवा फिटिंग या प्रदत्त सेवाओं में सामान्य टूट फूट से हुए अधिक क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा तथा आवास में हुई क्षतिपूर्ति की लागत का निर्धारण उपायुक्त केविसं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाएगा जिसे अंतिम माना जाएगा (अथवा संदिग्ध मामले में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जाएगा)

(If the allottee is already in occupation of another quarter, he/she should hand over his/her present quarter by the date following the date of taking over the new quarter, failing which rent (including penal rent) for both the quarters will be charged. The allottee shall be personally liable for payment of license fee of the quarter and for any damage beyond fair wear and tear caused to the residence or to the fixtures, fitting or services provided therein during his/her occupation. The assessment of the cost of damage to the residence fixtures, fitting etc. as decided by the Deputy Commissioner (or by the Sangathan in doubtful cases) shall be considered as final).

6. उपायुक्त केविसं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन(आवास आबंटन) नियम 1976 के प्रावधानों के तहत आबंटन को निरस्त किया जा सकता है। आबंटन के रद्द या निरस्त कर दिये जाने के बाद या इसे निरस्त करना स्वीकृत कर लिया जाता है तो आबंटिती द्वारा आवास खाली कर आबंटन प्राधिकारी को उसका कब्जा वापस लौटाना होगा।

(The Deputy Commissioner reserves the right to withdraw or cancel the allotment in accordance with the provisions in the Allotment of Residence (Kendriya Vidyalaya Sangathan) Rules, 1976. As soon as the allotment is withdrawn or cancelled or is deemed to be cancelled the allottee shall hand over vacant possession of the quarter to the Deputy Commissioner).

7. जिस कर्मचारी द्वारा आवास खाली किया जाना है, उसे उपायुक्त को 10 दिनों के भीतर आवास खाली करने का एक लिखित नोटिस देना होगा जिसमें आवास खाली करने की तिथि और समय का उल्लेख हो। इस नोटिस के प्राप्त होने के बाद से ही निश्चित अवधि पर ध्यान दिया जाएगा।
- (At the time of vacating the quarter, the allottee shall give at least 10 days notice in writing to the Deputy Commissioner intimating the date and time of vacating the quarter. The period of notice will be reckoned from the date on which such notice is received by the Deputy Commissioner).

8. पानी, विद्युत प्रभार आदि का भुगतान आवास में लगे मीटर के अनुसार अथवा मीटर ना होने पर आवास की उचित कीमत के अनुसार किया जाएगा। यह भुगतान सीधे ही संबंधित प्राधिकारी को किया जाएगा अथवा उपायुक्त द्वारा यथानिर्धारित की गई कीमत के आधार पर संबंधित भुगतान आबंटिती द्वारा किया जाएगा।

(The water and electricity charges will be payable according to the meter reading wherever meter is installed or according to the assessed flat rates. The charges shall be paid direct to the authorities concerned or recovery will be made from the emoluments payable to the occupant as deemed fit by the Deputy Commissioner).

9. उपायुक्त द्वारा स्वयं या उनके द्वारा नियुक्त किए गए स्टॉफ कर्मचारी को यह अधिकार होगा कि वह आवास की मरम्मत इत्यादि यदि आवश्यक हो तो के उसकी अन्दर व बाहर की जांच कर सकेगा।

(The Deputy Commissioner or the staff authorized by him will have the right to view the quarter from inside and to carry out repairs, rectification etc as deemed necessary).

10. आवासीय आवास को किराये पर नहीं दिया जाएगा और ना ही अन्य प्रयोजनों के लिए परिसर का इस्तेमाल किया जाएगा। आबंटन अधिकारी द्वारा संगठन द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयानुसार, आबंटन की शर्तों में निकट भविष्य में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकता है, और इन संशोधनों को आबंटन पत्र में दी गई शर्तों के अनुरूप बाध्य माना जाएगा।

(The allotment does not create any tenancy or any other right in the premises whatsoever. The Deputy Commissioner reserves the right to modify the conditions of the allotment per decision of the KVS from time to time in future and those modifications are to be treated as conditions of this letter of allotment and binding on the occupant).

11. जिस कर्मचारी को आवास आबंटित है, यदि उसके कब्जे के दौरान आवास में फिटिंग व अन्य प्रदत्त सेवाओं की टूट फूट होने, खराब होने या खोने की स्थिति में संगठन द्वारा निर्धारित कीमत का भुगतान आबंटिती द्वारा किया जाएगा।

(That the allottees will have to pay the cost assessed as by the Sangathan if any fitting fixtures, of the allotted quarters are either broken or damaged or found missing during his/her occupancy).

12. आबंटिती को स्पष्ट किया जाता है कि वह आबंटित आवास का एक लाइसेंसधारी है, ना कि किरायेदार और ना ही आबंटित आवास जो संगठन द्वारा दिया गया है का कोई अनन्य अधिकारी।

(The allottee explicitly understands that he is licensee of the allotted quarter/room and not a tenant thereof and the exclusive possession of the said quarter/room by the KVS, which is the Licensor).

आबंटिती जो एक लाइसेंसधारी है को स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित नियम व शर्तें होने पर उसका लाइसेंस स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा -

The allottee who is the licensee also explicitly understands that the license will automatically cease to be in force the following events.

- क. लाइसेंसधारी के सेवानिवृत्त होने पर। (Retirement of the licensee)
- ख. लाइसेंसधारी का किसी अन्य केंद्रीय विद्यालय या केविसं क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरण होने पर। {Transfer of the licensee to another KV/ KVS(RO)}
- ग. लाइसेंसधारी द्वारा संगठन की सेवा से त्यागपत्र देने पर। (Resignation of the licensee from the services of the Sangathan).
- घ. लाइसेंसधारी की मृत्यु होने पर। (Death of the licensee)

(जयदीप दास)
उपायुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. संबंधित अधिकारी /कर्मचारी जिसे आवास आबंटित किया गया है।
2. वित्त अधिकारी केविसं क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

क्षेत्रीय कार्यालय (REGIONAL OFFICE)

92, गांधीनगर मार्ग बजाज नगर,

GANDHI NAGAR MARG, BAJAJ NAGAR,

जयपुर / JAIPUR – 302015 (राजस्थान)

वेबसाइट: www.kvsjaipur.nic.in ईमेल kvsjpr@gmail.com / kvsjpr@rediffmail.com



0141 – 2704572 (DC), 0141– 2706548 (AO/FO), 0141 – 2707149 (AC), FAX No. 0141 – 2706882

फा0 सं0

केविसं(जयपुर)

दिनांक

कार्यालय आदेश

(Quarter/House No.T-IV/1 is hereby allotted to _____ KVS (RO) Jaipur subject to the provisions in the Allotment of Residences (Kendriya Vidyalaya Sangathan) Rules, 1998).

The following terms and conditions are specially brought to notice:

1. The quarter shall be used for residential purpose only and for no other Purpose.
2. The quarter shall not be sublet under any circumstances. The residence shall not be shared with any other employee of the Vidyalaya or any outsider without the prior written permission of the Competent Authority.
3. The allottee shall keep the quarter and surrounding in a clean and hygienic condition. The allottee shall not make any addition and alterations to the quarter and shall not deface the glass panes, walls, floors etc. No inflammable articles shall be stored in the quarter.
4. License fee shall be payable from the date of taking possession of the quarter. The allottee shall accept the allotment and take the possession of the residence within 8 days from the date of receipt of this letter of allotment, failing which the allotment shall be treated as cancelled and he/she shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of this allotment letter.
5. If the allottee is already in occupation of another quarter, he/she should hand over his/her present quarter by the date following the date of taking over the new quarter, failing which rent (including penal rent) for both the quarters will be charged. The allottee shall be personally liable for payment of license fee of the quarter and for any damage beyond fair wear and tear caused to the residence or to the fixtures, fitting or services provided therein during his/her occupation. The assessment of the cost of damage to the residence fixtures, fitting etc. as decided by the Deputy Commissioner (or by the Sangathan in doubtful cases) shall be considered as final).
6. The Deputy Commissioner reserves the right to withdraw or cancel the allotment in accordance with the provisions in the Allotment of Residence (Kendriya Vidyalaya Sangathan) Rules, 1976. As soon as the allotment is withdrawn or cancelled or is deemed to be cancelled the allottee shall hand over vacant possession of the quarter to the Deputy Commissioner).
7. At the time of vacating the quarter, the allottee shall give at least 10 days notice in writing to the Deputy Commissioner intimating the date and time of vacating the quarter. The period of notice will be reckoned from the date on which such notice is received by the Deputy Commissioner).

8. The water and electricity charges will be payable according to the meter reading wherever meter is installed or according to the assessed flat rates. The charges shall be paid direct to the authorities concerned or recovery will be made from the emoluments payable to the occupant as deemed fit by the Deputy Commissioner.
9. The Deputy Commissioner or the staff authorized by him will have the right to view the quarter from inside and to carry out repairs, rectification etc as deemed necessary.
10. The allotment does not create any tenancy or any other right in the premises whatsoever. The Deputy Commissioner reserves the right to modify the conditions of the allotment per decision of the KVS from time to time in future and those modifications are to be treated as conditions of this letter of allotment and binding on the occupant.
11. That the allottees will have to pay the cost assessed as by the Sangathan if any fitting fixtures, of the allotted quarters are either broken or damaged or found missing during his/her occupancy.
12. The allottee explicitly understands that he is licensee of the allotted quarter/room and not a tenant thereof and the exclusive possession of the said quarter/room by the KVS, which is the Licensor.

The allottee who is the licensee also explicitly understands that the license will automatically cease to be in force the following events.

- a. Retirement of the licensee.
- b. Transfer of the licensee to another KV/ KVS(RO)
- c. Resignation of the licensee from the services of the Sangathan.
- d. Death of the licensee

(जयदीप दास)
उपायुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. Concerned Employee
2. Finance Officer, KVS (R O) Jaipur.